न्यायालय :– सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि कान्तसिंह (R.A.S)

राजस्व विविध संख्या– 02/2021

प्रार्थीया:–

शिवप्यारी पत्नी नाथुसिंहजी, उम्र–67 वर्ष, जाति–राजपुरोहित,
निवासी–पुनाडिया, तहसील–रानी, जिला–पाली, (राज.)

बनाम

अप्रार्थी:–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार,
रानी, तहसील–रानी, जिला–पाली (राज.)

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम:–

उपस्थिति :–
1– श्री विजय राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से।
2– सरकारी पैरोकार अप्रार्थी की ओर से।

–:निर्णय:– दिनांक–31/3/2022

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गांव रानीखुर्द, पटवार हल्का रानीखुर्द, भू. अभि. नि. रानी, तहसील रानी, जिला पाली के खसरा नम्बर 100/781 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, किस्म गै. मु. , खसरा नम्बर 97/3 रकबा 0.2000 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 99/3 रकबा 0.0400 हैक्टेयर किस्म गै. मु. कुल खसरे 3 कुल रकबा 0.2800 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीया की सहखातेदारी कब्जा काश्त सुदा स्थित है।

पेज संख्या 2 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

प्रार्थीया ने तत्समय के उक्तवर्णित आराजी के खातेदार उत्तमचन्द पुत्र बख्तावरमल, जाति जैन, निवासी रानीखुर्द से वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण प्रार्थीया शिवप्यारी व प्रार्थीया की देवरानी श्रीमती कमला पत्नी उम्मेदसिंह, जाति राजपुरोहित ने बहिस्सा बराबर बराबर अर्थात आधा आधा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के संयुक्त रूप से खरीद किया था। जो दस्तावेज उपपंजीयक कार्यालय, देसूरी मे दिनांक 22.06.2007 को क्रम संख्या 2007001363 पर पंजीबद्ध है। वक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से व कमलादेवी का भी 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त आज दिन तक चला आ रहा है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का नामान्तरण संख्या– 470 दिनांक 14.08.2007 को प्रार्थीया शिवप्यारी व कमलादेवी के नाम से दर्ज किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2005 की जमाबन्दी मे प्रार्थीया का नाम लिपिकीय गलती व भूल से शिवप्यारी के स्थान पर शिवकुमारी दर्ज किया गया। जो इन्द्राज वर्तमान जमाबन्दी मे भी इस रूप मे गलत दर्ज चला आ रहा है। जिस कारण से प्रार्थीया को काफी असुविधा का सामना करना पड रहा है। नाम की गलती से प्रार्थीया को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड रहा है। स्पष्ट रूप से प्रमाणित इस लिपिकीय गलती और भूल को सुधार जाना उचित, आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे उक्त वर्णित आराजी की जमाबन्दियां, विक्रय विलेख की फोटो प्रति इत्यादि दस्तावेजों को पेश किया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार किये तथा कथन किया कि वर्ष 2005 की जमाबन्दी मे नामान्तरण संख्या 470 का जमाबन्दी मे अमल दरामद करते समय सेवन से प्रार्थीनी शिवकुमारी पत्नी नाथुसिंह दर्ज किया गया। नामान्तरण संख्या 470 के अनुरूप प्रार्थीनी का शिवकुमारी के स्थान पर शिवप्यारी दर्ज किया जाना उचित बताया है। प्रकरण मे राजकीय हित प्रभावित नही होना बताया है। दस्तावेज के रूप मे भू अभिलेख रानी की रिपोर्ट, म्यूटेशन की प्रति पेश की है। रिपोर्ट मे प्रार्थीया का नाम शिवकुमारी नाम की जगह शिवप्यारी नाम दर्ज करने की अनुशंषा की गई।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना

पेज संख्या 3 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

पत्र मे वर्णित आराजी प्रार्थीया ने तत्समय के खातेदार उत्तमचन्द पुत्र बख्तावरमल, जाति जैन, निवासी रानीखुर्द से वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण प्रार्थीया शिवप्यारी व प्रार्थीया की देवरानी श्रीमती कमला पत्नी उम्मेदसिंह, जाति राजपुरोहित ने बहिस्सा बराबर बराबर अर्थात आधा आधा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के संयुक्त रूप से खरीद किया था। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का नामान्तरण संख्या 470 दिनांक 14.08.2007 को प्रार्थीया शिवप्यारी व कमलादेवी के नाम से दर्ज किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2005 की जमाबन्दी मे प्रार्थीया का नाम लिपिकीय गलती व भूल से शिवप्यारी के स्थान पर शिवकुमारी दर्ज किया गया है। जो इन्द्राज वर्तमान जमाबन्दी मे भी इस रूप मे गलत दर्ज चला आ रहा है। जिसे शुद्धिकरण के जरिये राजस्व रेकर्ड मे शिवकुमारी के स्थान पर शिवप्यारी किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी ने अपनी बहस मे जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार किये कि वर्ष 2005 की जमाबन्दी मे नामान्तरण संख्या 470 का जमाबन्दी मे अमल दरामद करते समय सेवन से प्रार्थीनी का नाम शिवकुमारी पत्नी नाथुसिंह दर्ज किया गया है। नामान्तरण संख्या 470 के अनुरूप प्रार्थीनी का नाम शिवकुमारी के स्थान पर शिवप्यारी दर्ज किया जाना उचित बताया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। प्रार्थीया ने उक्तवर्णित आराजी के तत्समय के खातेदार उत्तमचन्द पुत्र बख्तावरमल, जाति जैन, निवासी रानीखुर्द से वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण प्रार्थीया शिवप्यारी व प्रार्थीया की देवरानी श्रीमती कमला पत्नी उम्मेदसिंह, जाति राजपुरोहित ने बहिस्सा बराबर बराबर अर्थात आधा आधा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के संयुक्त रूप से खरीद किया था। जो दस्तावेज उपपंजीयक कार्यालय, देसूरी मे दिनांक 22.06.2007 को क्रम संख्या 2007001363 पर पंजीबद्ध है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का नामान्तरण संख्या 470 दिनांक 14.08.2007 को प्रार्थीया शिवप्यारी के नाम से दर्ज किया गया। जिसका इन्दाज वर्ष 2005 की जमाबन्दी मे लिपिकीय गलती व भूल से प्रार्थीया का नाम शिवप्यारी के स्थान पर शिवकुमारी दर्ज कर दिया गया है। इसके पश्चात आज तक की जमाबन्दी मे प्रार्थीया का नाम लिपिकीय गलती व भूल

पेज संख्या 4 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

से शिवप्यारी के स्थान पर शिवकुमारी दर्ज चला आ रहा है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि लिपिकीय गलती व भूल से प्रार्थीया का नाम शिवप्यारी से शिवकुमारी दर्ज हुआ है जो वर्तमान जमाबन्दी मे भी गलत दर्ज चल आ रहा है। धारा 136 राज. भू. राज. अधि. 1956 के अनुसार ऐसी लिपिकीय गलतियों का शुद्धिकरण राजस्व अभिलेख मे किया जा सकता है। उक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे शुद्धिकरण के जरिये शिवकुमारी के स्थान पर शिवप्यारी किया जाना विधिसंगत व उचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है।

– आदेश –

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ग्राम रानीखुर्द, पटवार हल्का रानीखुर्द के खसरा न. 100/781, 97/3, 99/3 कुल खसरे 3 कुल रकबा 0.2800 हैक्टेयर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीया का नाम "शिवकुमारी" के स्थान पर "शिवप्यारी" शुद्धिकरण के जरिये दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, रानी निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद करे। तहसीलदार, रानी को निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

31/03/22
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

आदेश आज दिनांक–31-03-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, रानी
(S.D.O.) रानी